

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(राजस्व शाखा)

—: अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-

प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत Gail India Ltd. Ranchi Jharkhand द्वारा गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु गोला अंचल अंतर्गत मौजा- चोपादारू, टोनागातु, खखरा, सोसोकलां, कुम्हरदगा तथा अंचल दुलमी अंतर्गत मौजा- कुल्ही एवं बोंगई के Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र। गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है :-

क्र०स०	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म जमीन
1.	रामगढ़	गोला	चोपादारू	68	290	0.00149	जंगल-झाड़ी
2.	रामगढ़	गोला	चोपादारू	68	385	0.1232	जंगल-झाड़ी
3.	रामगढ़	गोला	टोनागातु	40	105	0.1780	जंगल-झाड़ी
4.	रामगढ़	गोला	खखरा	69	373	0.0010	जंगल-झाड़ी
5.	रामगढ़	गोला	खखरा	69	355	0.1407	जंगल-झाड़ी
6.	रामगढ़	गोला	खखरा	69	307	0.3345	जंगल-झाड़ी
7.	रामगढ़	गोला	सोसोकलां	58	2168	0.0547	जंगल-झाड़ी
8.	रामगढ़	गोला	सोसोकलां	58	2131	0.0564	जंगल-झाड़ी
9.	रामगढ़	गोला	कुम्हरदगा	51	775	0.0754	जंगल-झाड़ी
10.	रामगढ़	गोला	कुम्हरदगा	51	570	0.0828	जंगल-झाड़ी
11.	रामगढ़	गोला	कुम्हरदगा	51	1899	0.0329	जंगल-झाड़ी
12.	रामगढ़	गोला	कुम्हरदगा	51	1904	0.0335	जंगल-झाड़ी
13.	रामगढ़	दुलमी	कुल्ही	168	1011	0.0875	जंगल-झाड़ी
14.	रामगढ़	दुलमी	बोंगई	138	1624	0.0048	जंगल-झाड़ी
कुल -						1.20689	

कुल रकबा 1.20689 हे० (2.982 एकड़) में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर हैं, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।



उपायुक्त,

रामगढ़।

रामगढ़, दिनांक : 13/07/2018

ज्ञापांक : 1189/रा०,

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, गोला एवं दुलमी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि : उप महाप्रबंधक, गेल इण्डिया लिमिटेड (निर्माण) डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,

रामगढ़।